

भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय)

और

अदानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

के बीच

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

(यह समझौता ज्ञापन दिनांक 14.02.2020 के रियायत
समझौते का एक अभिन्न भाग है)

अनुसूची आर

समझौता ज्ञापन

(खंड 4.1.2(घ) (ii) और खंड 4.1.3(i) का संदर्भ लें)

यह समझौता ज्ञापन ("एमओयू") दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में;

1. भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामित किसी व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसके बाद "भारत सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुद्देशित शामिल समझे जाएंगे); और
2. अदानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या यू63030जीजे2019पीएलसी110062 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एसजी हाईवे, अहमदाबाद - 382421, गुजरात, भारत में स्थित है (जिन्हें इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ इसके विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुद्देशित और प्रतिस्थानी शामिल होंगे)।

द्वारा और के बीच: किया गया है।

जैसा कि संदर्भ के अनुसार आवश्यक हो सकता है, भारत सरकार और रियायतग्राही को इसके बाद संयुक्त रूप से "पक्षकारों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" कहा गया है।

जबकि:

क. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("**प्राधिकरण**") ने रियायत समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में हवाई अड्डे के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक 14.02.2020 का एक रियायत समझौता ("**रियायत समझौता**") किया है।

ख. भारत सरकार स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लागू कानूनों के अनुसार और नीचे दिए गए अनुसार भारत सरकार द्वारा रियायतग्राही को निरंतर सहायता और कुछ अधिकारों का प्रदान किया जाना आवश्यक है, और यह परियोजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक आवश्यक पूर्व-शर्त है।

ग. परियोजना के सुचारू संचालन और व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार यथा उल्लिखित रियायतकर्ता को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

अब एतद्वारा निम्नानुसार सहमति बनी है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस एमओयू में, उस सीमा को छोड़कर जहाँ संदर्भ में अन्यथा आवश्यक हो, और जब तक कि नीचे या इस एमओयू में विशेष रूप से कहीं और अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, यहाँ प्रयुक्त अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्द (और यहाँ परिभाषित नहीं) लेकिन रियायत

समझौते के तहत परिभाषित, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते के तहत उस शब्द को दिया गया है:

"पशु संगरोध सेवाएं" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 1 में यथा निर्धारित संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का भाग) से होगा;

"पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"लागू अनुमतियां" से तात्पर्य इस एमओयू के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत भारत सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/एजेंसी से प्राप्त की जाने वाली और/या उसके बाद बनाए रखी जाने वाली सभी मंजूरियों, लाइसेंसों, परमिटों, प्राधिकारों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों, सहमतियों, अनुमोदनों और छूटों से होगा;

"मध्यस्थ अधिकरण" का वही अर्थ है जो नीचे दिए गए खंड 6.3.3 में इस शब्द को दिया गया है;

"प्राधिकरण" का वही अर्थ है जो उपर्युक्त क में उल्लिखित है;

"प्राधिकरण प्रतिनिधि" से तात्पर्य प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"रियायत समझौता" का वही अर्थ है जो उपर्युक्त क में उल्लिखित है;

"रियायतग्राही" का वही अर्थ है जो पक्षकारों की सूची में इस शब्द के लिए उल्लिखित है या कोई अन्य पक्षकार जिसे प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किया जा सकता है;

"रियायतग्राही प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर मनोनीत कम से कम निदेशक पद धारक प्रतिनिधि(यों) से होगा;

"सीमा शुल्क नियंत्रण" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 3 में यथा निर्धारित सीमा शुल्क संबंधी सेवाओं से होगा;

"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"डीजीसीए" से तात्पर्य नागर विमानन महानिदेशालय या उसके किसी प्रतिस्थानी से होगा;

"प्रभावी तिथि" से तात्पर्य इसमें अंतिम पक्षकार द्वारा इस एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तिथि से होगा और ऐसी तिथि रियायत समझौते में प्रदान किए गए वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से बाद की नहीं होगी;

"भारत सरकार" का वही अर्थ है जो पक्षकारों की सूची में इस शब्द के लिए उल्लिखित है;

"भारत सरकार सहायता" का वही अर्थ है जो इस एमओयू के खंड 2 में इस शब्द के लिए उल्लिखित है;

"स्वास्थ्य सेवाएं" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 4 में यथा निर्धारित अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का भाग) से होगा;

"स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"इमिग्रेशन सेवाएं" से तात्पर्य लागू कानून के अनुसार इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 5 में यथा निर्धारित इमिग्रेशन सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का भाग) से होगा;

"इमिग्रेशन सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत इमिग्रेशन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"संयुक्त समन्वय समिति" का वही अर्थ है जो नीचे दिए गए खंड 3.1.1 में इस शब्द के लिए उल्लिखित है;

"मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 6 में यथा निर्धारित मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का भाग) से होगा;

"मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"एमओसीए" का वही अर्थ है जो नीचे दिए गए खंड 2.6 में इस शब्द के लिए उल्लिखित है;

"एमओयू" या **"यह एमओयू"** से तात्पर्य इस समझौता ज्ञापन से होगा;

"पादप संगरोध सेवाएं" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 7 में यथा निर्धारित संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का भाग) से होगा;

"पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"परियोजना" का वही अर्थ है जो रियायत समझौते में इस शब्द के लिए उल्लिखित है;

"आरक्षित सेवाएं" का वही अर्थ है जो खंड 2.3 में इस शब्द के लिए उल्लिखित है;

"सुरक्षा सेवाएं" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 8 में यथा निर्धारित सुरक्षा सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का भाग) से होगा;

"सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"शेयर्ड टिल अप्रूवल" का वही अर्थ है जो खंड 2.2.1 में दिए गए शब्द के लिए उल्लिखित है; और

"अवधि" का वही अर्थ है जो खंड 4 में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।

धारा 1.2: व्याख्या के नियम

1.2.1: बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) से शुरू होने वाले परिभाषित शब्दों का अर्थ इस एमओयू से लिया जाएगा। यहाँ प्रयुक्त कोई भी शब्द जो यहाँ परिभाषित नहीं है, लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित है, वही अर्थ रखेगा जो उस समझौते में है (जब तक कि संदर्भ अन्यथा संकेत न दे)।

1.2.2: "खंडों" के सभी संदर्भ सीधे इस एमओयू के भीतर के खंडों से संबंधित हैं, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

1.2.3: रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में व्याख्या को नियंत्रित करने वाले नियम इस एमओयू पर सीधे (यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित) लागू होते हैं।

धारा 2: भारत सरकार सहायता

प्रभावी तिथि से, भारत सरकार एतद्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित सहायता प्रदान करने का वचन देता है ("भारत सरकार सहायता") :

धारा 2.1: लागू अनुमतियां

2.1.1: रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, और बशर्ते रियायतग्राही लागू कानूनों का पालन करता हो, भारत सरकार किसी भी लागू वैधानिक अवधि के भीतर आवश्यक लागू अनुमतियां देने का प्रयास करेगी। जहाँ कोई निश्चित वैधानिक अवधि मौजूद नहीं है, भारत सरकार लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर अनुमतियां जारी करने के लिए उचित प्रयास करेगी, बशर्ते रियायतग्राही सभी पूर्व-आवश्यक मानदंडों को पूरा करता हो।

2.1.2: रियायतग्राही अनुमति जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए निष्ठा और समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमत होता है।

(क) संबंधित अधिकारियों के समक्ष ऐसे आवेदन तैयार करना और दाखिल करना, जो लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में हों;

(ख) संबंधित अधिकारियों के साथ पूर्वोक्त आवेदनों की अनुवर्ती (फॉलो-अप) कार्रवाई करना; और

(ग) अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण के सभी अनुरोधों का समयबद्ध तरीके से उत्तर देना।

2.2 शुल्क के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

2.2.1 भारत सरकार ने दिनांक 15 जून, 2016 के राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के माध्यम से भारत के सभी हवाई अड्डों के लिए वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण और विनियमन के लिए 30% (तीस प्रतिशत) शेयर्ड टिल फ्रेमवर्क ("**शेयर्ड टिल अप्रूवल**") को अनुमोदन प्रदान किया है, और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार शुल्क/वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए आईआरए (AERA) द्वारा तदनुसार विचार किया जाएगा।

2.2.2 वैमानिकी प्रभारों को शेयर्ड टिल अप्रूवल, रियायत समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनः निर्धारित किया जाएगा।

2.2.3 हवाईअड्डे के भीतर सीमा शुल्क, इमिग्रेशन, पादप संगरोध सेवाएं, पशु संगरोध सेवाएं, मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सेवाएं जैसी संप्रभु सेवाएं प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी एजेंसी को दिए गए किसी भी भुगतान को वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से पास-थ्रू माना जाएगा।

2.2.4 अन्यथा कहीं भी इसके विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही आईआरए (AERA) द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों पर, हवाईअड्डे के प्रयोक्ताओं से रियायत समझौते के खंड 15.1.1 के अनुसार सीओडी की तिथि से वैमानिकी शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा।

2.3 आरक्षित सेवाएं

2.3.1 भारत सरकार, पूरी अवधि के दौरान, हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("**आरक्षित सेवाएं**") प्रदान करेगी, या प्रदान करवाएगी:

(क) सीमा शुल्क नियंत्रण;

(ख) इमिग्रेशन सेवाएं;

(ग) पादप संगरोध सेवाएं;

(घ) पशु संगरोध सेवाएं;

(ङ) स्वास्थ्य सेवाएं;

(च) मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं; और

(छ) सुरक्षा सेवाएं।

2.3.2 रियायतग्राही हर समय नामित भारत सरकार की एजेंसियों को (क) हवाईअड्डे पर ऐसी पहुंच और सुविधाएं, और (ख) स्थान की आवश्यकताएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा, जैसा कि उनमें से किसी या सभी द्वारा हवाईअड्डे पर आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

2.3.3 रियायतग्राही उस नामित भारत सरकार की एजेंसी की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर किसी भी नामित भारत सरकार की एजेंसी को दिए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।

2.3.4 हवाईअड्डे पर किसी भी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में, जिसमें आरक्षित सेवाएं प्रदान करने या अन्यथा के उद्देश्यों के लिए किसी भी नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधाओं की आवाजाही या पुनर्गठन शामिल है, रियायतग्राही विधिवत नामित भारत सरकार की एजेंसी को सूचित करेगा और रियायतग्राही और वह नामित भारत सरकार की एजेंसी उस नामित भारत सरकार की एजेंसी की स्थल आवश्यकताओं में किसी भी बदलाव पर चर्चा करेंगे और सहमत होंगे, जो हवाईअड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक हो सकता है।

2.3.5 भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक नामित भारत सरकार की एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन को प्राप्त करने का वचन देती है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा जिन पर संबंधित नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.4 भारत सरकार की एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और इसके तहत आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक भारत सरकार की एजेंसी/विभाग के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन को प्राप्त करने का वचन देती है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा जिन पर संबंधित भारत सरकार की एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.5 द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित किए बिना या किसी भी तरह से सीमित किए बिना, भारत सरकार, हवाईअड्डे पर अनुसूचित एयरलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए उड़ान अधिकारों और सीट पात्रता के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के अनुरोधों को स्वीकार करेगी और उनकी समीक्षा करेगी। भारत सरकार/नामित भारत सरकार का प्राधिकरण हवाईअड्डे पर अनुसूचित सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइनों के अनुरोधों के आधार पर ऐसे देशों के साथ सभी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों में प्रवेश करने, संशोधन करने या नवीनीकृत करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार हवाईअड्डे के संबंध में द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में कोई अपवर्जन नहीं करेगी। अंतरराष्ट्रीय वाहकों को हवाईअड्डे पर परिचालन शुरू

करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, हवाईअड्डे पर उनकी अतिरिक्त आवृत्ति को द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में नहीं गिना जाएगा। भारत सरकार हवाई अड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त न करने का प्रयास करेगी। भारत सरकार किसी अन्य राज्य या उसके नामित वाहक (वाहकों) द्वारा इसके तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता के कारण, या ऐसे हवाई सेवा समझौते के किसी अन्य पक्षकार द्वारा उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप किसी भी हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त करने की हकदार होगी।

2.6 सीमा शुल्क, इमिग्रेशन और संगरोध

भारत सरकार हवाईअड्डे पर अपने व्यय पर, सीमा शुल्क, इमिग्रेशन और संगरोध प्रक्रियाओं को इस तरह से स्थापित या बनाए रखेगी (जैसा कि लागू हो), कि ऐसी किसी भी या सभी सेवाओं के संबंध में भारत सरकार के कारण प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न किसी कारण से रियायतग्राही के मुख्य प्रदर्शन संकेतक प्रभावित न हों। पक्षकारों का इरादा इस एमओयू के अनुसार भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली सीमा शुल्क और इमिग्रेशन प्रक्रियाओं और संगरोध सेवाओं के संबंध में उपयुक्त सेवा स्तर मानकों पर सहमत होने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करना है और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ("एमओसीए") तदनुसार सहायता करने के लिए अपने प्रयासों का उपयोग करेगा जब और जैसे ही रियायतग्राही द्वारा इस संबंध में अनुरोध किया जाए।

2.7 सुरक्षा

2.7.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक इस एमओयू के तहत अन्यथा सहमति न हो, वह नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से, लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करेगी। शर्त यह है कि, भारत सरकार और रियायतग्राही, आपसी चर्चा के बाद और यदि लागू कानूनों के अनुसार अनुमति दी जाती है और यदि इसे उपयुक्त माना जाता है, हवाई अड्डे पर संयुक्त रूप से विमानन सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। पक्षकार स्वीकार करते हैं कि प्रति प्रस्थान करने वाले यात्री पर सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला शुल्क समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऐसे शुल्क के अनुरूप होगा और ऐसा शुल्क सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए समान रूप से संशोधित किया जा सकता है।

2.7.2 इस एमओयू के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही बीसीएस (BCAS) और किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा हवाईअड्डे की सुरक्षा के संबंध में स्थापित ऐसे नियमों और विनियमों का पालन करेगा। बशर्ते कि रियायतग्राही इस प्रकार बाध्य नहीं होगा यदि ऐसे नियम और विनियम समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर सामान्य रूप से और निरंतर लागू नहीं होते हैं।

2.7.3 रियायतग्राही हवाईअड्डे पर सुरक्षा के प्रावधान के लिए बीसीएस (BCAS) और किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित हवाईअड्डे पर ऐसी सभी सुरक्षा अवसंरचना प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते

कि समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर समान दायित्व लगाए जाएं।

2.7.4 हवाईअड्डा भवन, यात्रियों, हवाईअड्डे पर कार्य करने वाले व्यक्तियों और हवाईअड्डे के अन्य आगंतुकों और हवाईअड्डे पर क्षेत्र, माल भाड़ा और अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं बीसीएस (BCAS) और किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा निर्धारित अनुसार होंगी। रियायतग्राही बीसीएस (BCAS) और किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, बशर्ते कि ऐसी प्रक्रियाएं और निर्देश समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर निरंतर लागू होते हों।

2.7.5 रियायतग्राही हर समय नामित सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

2.8 मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं

2.8.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से या किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के लिए मौसम विज्ञान सेवा पर शिकागो कन्वेंशन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित परिपाटियों के अनुसार हवाईअड्डे पर मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करवाएगी।

2.8.2 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा या किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से प्रदान किए गए कार्य और इस खंड 2.8 के तहत रियायतग्राही द्वारा प्रदान की गई पहुंच और स्थान उत्तम उद्योग परिपाटियों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2.9 गैर-भेदभाव

समय-समय पर लागू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के अध्वधीन, भारत सरकार हवाई यातायात के उन वर्गों या विवरणों के संबंध में गैर-भेदभाव की नीति का अनुपालन करेगी जिन्हें हवाईअड्डे का उपयोग करने की अनुमति है और उचित नियमों के अध्वधीन, हवाईअड्डे पर विमान की आवाजाही पर कोई अनुचित सीमा न लगाने या अन्यथा हवाईअड्डे पर क्षमता को प्रतिबंधित न करने का प्रयास करेगी।

3. संयुक्त समन्वय समिति

3.1 संयुक्त समन्वय समिति का गठन

3.1.1 आरक्षित सेवाओं का सुचारू और कुशल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार एतद्वारा एक संयुक्त समन्वय समिति ("संयुक्त समन्वय समिति") स्थापित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) प्राधिकरण प्रतिनिधि;

(ख) नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) का प्रतिनिधि;

- (ग) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;
- (घ) इमिग्रेशन सेवाएं प्रतिनिधि;
- (ङ) मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रतिनिधि;
- (च) सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि;
- (छ) पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि;
- (ज) पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि;
- (झ) स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि; और
- (ञ) रियायतग्राही का प्रतिनिधि।

नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए), भारत सरकार, इस समिति का गठन करेगी और बैठकों की अध्यक्षता करेगी, जिसका जनादेश आरक्षित सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों को हल करना होगा।

3.2 बैठकें और सहायता

3.2.1 संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) करेंगे, और जब तक कि पक्षकारों द्वारा बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने के लिए अन्यथा सहमति न हो, प्रभावी तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर पहली बार शुरू होकर, हवाई अड्डे पर हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

3.2.2 भारत सरकार एतद्वारा हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत प्रासंगिक एजेंसियों, अधिकारियों, विभागों, निरीक्षक कार्यालयों, मंत्रालयों के साथ तालमेल बिठाने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने का वचन देती है।

4. अवधि और समाप्ति

4.1 अवधि

4.1.1 यह एमओयू प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

4.1.2 यह एमओयू रियायत समझौते के निर्धारण और/या समय से पहले समाप्ति के साथ, किसी भी कारण से, स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा ("अवधि")।

4.2 समाप्ति

4.2.1 यह एमओयू तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा यदि रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार सीओडी प्राप्त नहीं किया जाता है।

4.2.2 इस एमओयू के अनुसार रियायतग्राही को दिए गए अधिकार और लाभ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, रियायतग्राही के किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमत समनुद्देशित या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी उत्तराधिकारी सहित) को स्थानांतरित हो जाएंगे, और उनके लाभ के लिए होंगे, जो किसी भी समय हवाई अड्डे का संचालन कर सकते हैं।

प्रतिनिधित्व और वारंटी

5.1 रियायतग्राही द्वारा

रियायतग्राही एतद्वारा भारत सरकार को प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि रियायत समझौते के तहत इसके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रतिनिधित्व और वारंटी इस एमओयू के उद्देश्यों के लिए यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित सत्य और सही होंगे, जिसमें उसमें निहित रूप और तरीके शामिल हैं, लेकिन इसमें इसकी शक्ति और अधिकार और इस एमओयू के निष्पादन और वितरण के लिए आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाइयां सीमित नहीं हैं।

5.2 भारत सरकार द्वारा

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही को प्रतिनिधित्व और वारंटी देती है कि उसके पास इस एमओयू को निष्पादित करने का अधिकार, शक्ति और अधिकार है और उसने सभी आवश्यक कार्रवाइयां की हैं, और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इस एमओयू के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने कार्यों को निष्पादित करने का अधिकार है।

शासी कानून और विवाद समाधान

6.1 शासी कानून

यह एमओयू (इस खंड 6 सहित) और इसके अर्थ के सभी प्रश्नों की व्याख्या भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार की जाएगी।

6.2 क्षेत्राधिकार

नीचे दिए गए खंड 6.3 के प्रावधानों के अध्वधीन, नई दिल्ली के न्यायालयों के पास इस एमओयू से उत्पन्न या उससे संबंधित मामलों पर विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

6.3 विवाद समाधान

6.3.1 पक्षकार सहमत हैं कि वे सद्भाव परामर्श के माध्यम से, इस एमओयू के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा। शर्त यह है कि यदि ऐसे सद्भाव परामर्शों के परिणामस्वरूप ऐसे परामर्श शुरू होने के 60

(साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं हुआ है, तो खंड 6.3.2 के प्रावधान लागू होंगे।

6.3.2 ऐरा (AERA) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी विवाद, जिसे पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान (जैसा कि ऊपर खंड 6.3.1 के तहत प्रदान किया गया है) के माध्यम से हल नहीं किया जा सका, उसे समय-समय पर यथा संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से हल किया जाएगा।

6.3.3 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों वाले एक अधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता का प्रत्येक पक्षकार 1 (एक) मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और इस प्रकार नियुक्त 2 (दो) मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (मिलकर "मध्यस्थ अधिकरण" बनाएंगे)। मध्यस्थता की कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी।

6.3.4 ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षकारों को अन्यथा स्वीकार्य न हो, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

6.3.5 मध्यस्थ अधिकरण का निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7. विविध

7.1 सूचना

7.1.1 इस एमओयू की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमति प्राप्त या लागू कानूनों द्वारा आवश्यक कोई भी सूचना (जब तक अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगी और व्यक्तिगत रूप से वितरित की जाएगी, पंजीकृत डाक या एयर मेल द्वारा भेजी जाएगी जैसा कि उपयुक्त हो, उचित रूप से लिफाफे में ठीक से पता लिखकर और पूरा भुगतान करके भेजी जाएगी या संबंधित पक्षकारों को फैक्स द्वारा निम्नानुसार भेजी जाएगी:

भारत सरकार:

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार/ या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामित व्यक्ति

ई-मेल: secy.moca@nic.in

फैक्स नं.: 011-24602397

प्राधिकरण:

पता: राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली - 110003

ध्यानार्थ: अध्यक्ष

ई-मेल: chairman@aai.aero

फैक्स नंबर: 011-24641088

रियायतग्राही:

पता: मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बाजपे मेन रोड, केंजरा एचसी, मंगलुरु - 574142, कर्नाटक, भारत

ध्यानार्थ: मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी, अडाणी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

ई-मेल: cao.mangaluruairport@adani.com

फैक्स नंबर: 0824 2254175

या ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर पर जैसा कि समय-समय पर इसके तहत सूचना द्वारा नामित किया जा सकता है।

7.1.2 ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और उस समय दी गई मानी जाएगी जब वास्तव में वितरित की गई हो, यदि हाथ से वितरित की गई हो, या फैक्स द्वारा भेजने के बाद अगले कार्य दिवस पर या किसी अन्य स्थिति में इसके पहले प्रदान किए गए तरीके से डाक द्वारा भेजे जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर मानी जाएगी।

7.2 पृथक्करणीयता

इस घटना में कि इस एमओयू में निहित कोई भी, या शर्तों, स्थिति या प्रावधानों का कोई भी हिस्सा किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय निर्धारित किया जाता है, तो ऐसी शर्तें, स्थिति या प्रावधान उस सीमा तक शेष शर्तों, स्थिति और प्रावधानों से अलग कर दिए जाएंगे, जो लागू कानून द्वारा अनुमति की पूरी सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

7.3 संपूर्ण समझौता

यह एमओयू, इसके सभी अनुलग्नकों के साथ, इस एमओयू के विषय वस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी पूर्व समझौते या समझ, लिखित या मौखिक, जो पक्षकारों के बीच रही हो सकती है, को प्रतिस्थापित करता है।

7.4 संशोधन

इस एमओयू का कोई भी जोड़, संशोधन या परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

7.5 समनुदेशन

इसके प्रभावी होने की तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी बदलाव के बावजूद, जो अन्यथा इस एमओयू के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्षकार इस एमओयू या इसके तहत या इसके अनुसार उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसमें किसी लाभ या हित को समनुदेशित नहीं कर सकता है। हालांकि, शर्त यह है कि पूर्वगामी के बावजूद, भारत सरकार एतद्वारा स्थानापन्न समझौते की शर्तों के अनुसार चुने गए किसी स्थानापन्न संस्था या परियोजना के संबंध में रियायतग्राही के रूप में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की गई किसी अन्य संस्था के पक्ष में इस एमओयू को स्थानांतरित करने और नवीनीकृत करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत होती है।

7.6 कोई छूट नहीं

भारत सरकार या प्राधिकरण की ओर से इस एमओयू के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का प्रयोग करने में कोई विफलता, और उनके द्वारा प्रयोग करने में कोई देरी, उसके त्याग के रूप में कार्य नहीं करेगी, न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का कोई भी एकल या आंशिक प्रयोग इसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के प्रयोग को रोकेगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस एमओयू में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपाय संचयी हैं और किसी भी अन्य अधिकारों, शक्तियों, विशेषाधिकारों या उपायों (चाहे कानून द्वारा प्रदान किए गए हों या अन्यथा) के अनन्य नहीं हैं।

अनुसूची 1

पशु संगरोध सेवाएं

क. आगमन से पूर्व

- (i) पशु आयात आवेदन प्राप्त होने पर, सभी होल्डिंग शेड और चारा भंडारण कक्षों की पूरी तरह से सफाई, कीटाणुशोधन और धूमन (फ्यूमिगेशन) किया जाता है।
- (ii) पशुओं को उपयुक्त वाहकों में ले जाया जाना चाहिए जो प्रजाति-विशिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करते हों।
- (iii) परिवहन वाहनों/वाहकों को निर्धारित आगमन से 24 घंटे पहले सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
- (iv) किसी भी आवश्यक जैविक नमूनों को एकत्र करने के लिए पहले से ही तैयारियां की जाती हैं।

ख. प्रवेश बिंदु पर आगमन पर

- (i) क्षेत्रीय या संगरोध अधिकारी और आवश्यक कर्मचारी पूर्व-सहमति वाले समय पर हवाई अड्डे पर रिपोर्ट करते हैं।
- (ii) अधिकारी सभी आयातित पशुओं या पशुधन उत्पादों का भौतिक परीक्षण करते हैं।
- (iii) स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए साथ में लाए गए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है।
- (iv) यदि पशु स्वस्थ हैं और दस्तावेज पूरे हैं, तो सीमा शुल्क (कस्टम्स) प्रसंस्करण के लिए एक अनंतिम संगरोध निकासी प्रमाण पत्र (आयात) या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (आयात) प्रदान किया जाता है।
- (v) जीवित पशुओं को आधिकारिक देखरेख में सीधे संगरोध सुविधा में ले जाया जाता है।
- (vi) संगरोध में 30 दिनों के लिए, या भारत सरकार के विशिष्ट स्वास्थ्य प्रोटोकॉल द्वारा अनिवार्य अवधि के लिए पशुओं की निगरानी की जाती है।
- (vii) पशुधन उत्पादों के लिए, प्रतिनिधि नमूने एकत्र किए जाते हैं और स्वच्छता आयात परमिट द्वारा निर्दिष्ट अनुसार नामित प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं।

अनुसूची 2

[उपयोग नहीं किया गया]

अनुसूची 3

सीमा शुल्क नियंत्रण

- (क) वॉकथ्रू चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ख) ग्रीन / रेड चैनल में बैगेज परीक्षण काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ग) बैगेज सहायक / डिप्टी की सेवाओं का प्रावधान;
- (घ) बैगेज मॉल के भीतर आयुक्त
- (ङ) रोके गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (च) गलत तरीके से संभाले गए बैगेज के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (छ) कीमती वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ज) शिपमेंट सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (झ) जब्त किए गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;

- (ज) निकास द्वार के पास गेट अधिकारी द्वारा तैनाती;
- (ट) निर्यात प्रमाण पत्र जारी करना;
- (ठ) सीमा शुल्क के कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवाएं;
- (ड) एयर इंटेलिजेंस यूनिट।

अनुसूची 4

स्वास्थ्य सेवाएं

(क) पक्षकार एतद्वारा यह दर्ज करते हैं कि डीजीएचएस (DGHS) का उद्देश्य हवाईअड्डा टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने और निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास करना है ("स्वास्थ्य सेवाएं") :

(i) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, कर्मचारियों और भारत सरकार, प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के अन्य कर्मियों के लाभ के लिए दिन में हर समय हवाईअड्डा टर्मिनल और कार्गो कॉम्प्लेक्स में चिकित्सा सुविधाएं;

(ii) चिकित्सा अधिकारी और अन्य डीजीएचएस कर्मी हवाईअड्डा टर्मिनल पर स्थित होंगे, जैसा कि डीजीएचएस द्वारा समय-समय पर तय किया जाए;

(iii) डीजीएचएस समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाई अड्डे में/के आसपास चिकित्सा सुविधाओं का समय तय करेगा;

(iv) डीजीएचएस हवाईअड्डे पर ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए।

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि डीजीएचएस उपर्युक्त खंड (क) (i) में उल्लिखित सभी या किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं होगी। ऐसी किसी भी देनदारी से एतद्वारा स्पष्ट रूप से इनकार किया जाता है। रियायतग्राही एतद्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उपर्युक्त खंड (क) (i) में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवा या

सुविधा के गैर-प्रावधान या आंशिक प्रावधान के लिए उसके पास डीजीएचएस या किसी अन्य सरकारी निकाय के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होगा।

अनुसूची 5

इमिग्रेशन सेवाएं

हवाईअड्डे पर इमिग्रेशन सुविधा और सेवा प्रदान करना और लागू कानूनों के तहत विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।

अनुसूची 6:

मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं:

विमानन मौसम सेवाएं: सुरक्षित उड़ान संचालन का समर्थन करने के लिए आवश्यक मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान का प्रावधान शामिल है।

अनुपालन मानक: आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नक 3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के तहत स्थापित अंतरराष्ट्रीय तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप है।

विनियामक एवं परिचालन संरेखण: भारत सरकार की नामित एजेंसी द्वारा निर्धारित अनुशंसित प्रथाओं के साथ-साथ विमान सुरक्षा पर केंद्रित स्थापित हवाई नेविगेशन सम्मेलनों के अनुरूप है।

अनुसूची 7:

पादप संरक्षण और संगरोध सेवाएं

ये कार्य विनाशकारी कीट और जीव-जंतु अधिनियम, 1914 और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 और इसके संशोधनों के तहत किए जाते हैं ताकि

प्रमुख जिम्मेदारियां और संचालन

- (क) आक्रामक कीटों और रोगजनकों को रोकने के लिए कृषि आयातों का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और अनुमोदन करना।
- (ख) बाहर जाने वाले कृषि सामानों का दृश्य रूप से परीक्षण और प्रसंस्करण करना।
- (ग) बाहर जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र (फ़ाइटो-सैनिटरी सर्टिफिकेट) प्रदान करना।
- (घ) आयातित लकड़ी की पैकिंग सामग्री की जाँच और उपचार करना।
- (ङ) आने वाली वस्तुओं पर प्रवेश-पश्चात संगरोध जाँच करना।
- (च) कृषि वस्तुओं पर धूमन (फ़्यूमिगेशन), कीट-निवारण (डिसइन्फेक्शन) और कीटाणुशोधन (डिसइन्फेक्शन) के उपायों को निष्पादित करना।

अनुसूची ८

सुरक्षा सेवाएं

- (क) एवीएसईसी उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हवाईअड्डा ऑपरेटरों, एयरलाइन ऑपरेटरों और उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए आईसीएओ के शिकागो कन्वेंशन के अनुलग्नक 19 के अनुसार नामित जीओआई एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना।
- (ख)
- (ग)

(घ) □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□/□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ '□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□', □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

हस्ताक्षरकर्ता:

"संकल्पित कि कंपनी के निदेशक मंडल की सहमति चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ में प्रदान की जाने वाली विभिन्न आरक्षित सेवाओं और की जाने वाली अन्य गतिविधियों के संबंध में भारत सरकार ("भारत सरकार") के साथ समझौता ज्ञापन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("प्राधिकरण") के साथ सीएनएस/एटीएम समझौते में प्रवेश करने के लिए एतद्वारा प्रदान की जाती है।

आगे संकल्पित कि कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नयन राव या श्री परिक्षित कौल को समझौता ज्ञापन, सीएनएस/एटीएम समझौते के नियमों और शर्तों पर बातचीत करने, संशोधन करने, अंतिम रूप देने और स्वीकार करने के लिए एतद्वारा पृथक रूप से

अधिकृत किया जाता है तथा कंपनी द्वारा भारत सरकार और प्राधिकरण के साथ सहमति के अनुसार समझौता ज्ञापन, सीएनएस/एटीएम समझौते और इसके संबंध में अन्य सभी आवश्यक समझौतों, विलेखों, दस्तावेजों, कागजातों आदि को निष्पादित करने और कंपनी की ओर से उससे संबंधित सभी आवश्यक कार्य, विलेख और चीजें करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्पित कि कंपनी की सामान्य मुहर (कॉमन सील), यदि आवश्यक हो, तो समझौतों, दस्तावेजों और/या किसी अन्य आवश्यक कागजातों पर कंपनी के किसी भी एक निदेशक या कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री बहनाद ज़ांदा या श्री जय अमीन या श्री आलोक पटनी या श्री नयन राव या श्री परिक्षित कौल की उपस्थिति में लगाई जाए, जो इसके प्रमाण के रूप में इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

आगे संकल्पित कि कंपनी के किसी भी एक निदेशक द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में विधिवत प्रमाणित इस प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत की जाए और उनसे एतद्वारा इस प्राधिकार पर भरोसा करने का अनुरोध किया जाता है।"

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

कृते, **अदानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**

जीत अदानी

निदेशक

(डीआईएन : 08556189)